THE FAMILY COURTS (AMENDMENT) BILL, 1990

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Family Courts Act, 1984, be taken into consideration."

Sir, as you are aware, the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984) envisages the establishment of Special Courts with a view to promoting conciliation and speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs and matters connected therewith. As per information received so far, the State Governments of Karnataka, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and the Union territory of Pondicherry have already set up a total of 25 Family Courts. Notifications have also been issued in respect of Assam, Goa, Kerala, Madhya Pradesh, Sikkim; West Bengal and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Delhi extending the Family Courts Act to those States and Union terrories.

Sir after the enactment of the Family Courts Act, 1984, a proceeding, relating to the maintenance of wife, children and parents under Chapter IX, which includes section 125 of the Cr. PC, falls within the jurisdiction of the Family Courts. And anomalous situation has arisen inasmuch as the States where the Family Courts Act has not been extended, there will be no appeal against the maintenance order passed by the Magistrate under section 125 of the Cr.PC and only the general provisions in the Cr.PC regarding filing of revision petition would apply while in those States where the Family Courts Act has been extended, an appeal under section 19 of that Act would lie to a Division Bench of a High Court against the maintenance order passed by the Family Court under section 125 of the Cr.PC. The Conference of Chief Justices held in December, 1989 took note of the above mentioned anomaly and recommended that the provision existing in the family Courts Act, 1984, regarding appeal against an order made by a Family Court under section 125 of Cr.PC. may be deleted and, in its place, revision may be provided for in the said Act.

With a view to bringing about uniformity in the procedure for maintenance cases it is proposed to amend Section 19 of the Family Courts Act, 1984. The right to appeal against the orders passed by the Family Courts under section 125 of the Cr. P.C. is being deleted. At the same time, the Bill seeks to insert a new clause relating to revision, enabling the High Court on its own motion or otherwise to call for and examine the record of any proceeding, in which a Family Court has passed orders under Chapter IX (which includes Section 125) of the Code of Criminal Procedure, 1973, to satisfy itself about the correctness legality and propriety of the order. It, however, intends to save the pending appeals and also the right to appeal from the orders passed before the commencement of the amending Act.

I hope the Bill will receive the whole-hearted support from all Members of the House.

The question was proposed.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Sir, I welcome the Bill. But the Act is not effective throughout the country. So proper steps should be taken to make it effective.

I welcome the Bill.

चौधरी हरीसिंह (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो फैमिली कोर्ट्स संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, यह बड़ा ही सामयिक है और फैमिलीज के मामलों को निपटाने के लिए जो दिक्कतें आ रही थीं उन्हें दूर करने के लिए यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। यह संशोधन विधेयक इन कोर्टों के जो काम हैं, जो क्रियाकलाप हैं, इनको आगे ले जाने के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा।

महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली का जो शहर है इसमें भी 12,000 से ज्यादा फैमिली के केसेज जो शादी, विवाह, तलाक या पारिवारिक झगड़ों से संबंधित हैं दिल्ली की अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा उससे मैंने यह नतीजा निकाला कि सारी स्टेट्स में मिलाकर बहुत कम फैमिली कोर्ट्स स्थापित हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इन कोर्टों की देश में बड़ी आवश्यकता है। आज दहेज को लेकर जो हमारी परंपरागत संस्कृति है, प्रथा है, उसको तोड़कर पश्चिमीकरण की वजह से, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हमारे परिवार टूटते नजर आ रहे हैं। आज दहेज के कारण जो विषवमन हो रहा है उससे डाइवोर्स के केस बहुत बढ़ गए हैं। नए फैशन या सिनेमा या टेलिविजन के कारण हर आदमी चाहता है कि अपनी पुरानी बीवी को छोड़कर नई बीवी कर ले, यह बहुत खतरनाक ट्रेंड हमारी सोसायटी के अंदर आ गया है। इससे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। इसलिए इन कोर्टों की बहुत आवश्यकता है। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है 25–30 कोर्ट अभी सारे देश में स्थापित हुई हैं। मेरा आग्रह है कि हर जिले में जहां एक लाख से ऊपर की आबादी है ये कोर्ट स्थापित किए जाएं। जहां 10 लाख से ऊपर की आबादी हो वहां तो स्थापित हों ही, लेकिन एक लाख से ऊपर की आबादी पर फैमिली कोर्ट स्थापित होना आवश्यक है। जो फैमिली डिस्प्यूट हैं इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। दिल्ली में ही तीन तीन साल से केसेज पड़े हुए हैं जिनका निपटारा नहीं हो पाया है। भागते-भागते तंग आ जाते हैं। कोर्ट की जो सबसे बड़ी डेलीकेसी है वह यह है कि जो फैमिली के आपस के डेलीकेट्स रिलेशंस होते हैं उनका निपटारा फैमिली कोर्ट्स से हो सकता है। कभी-कभी समझा-बुझा कर इन मामलों को ठीक कर देते हैं। सैपरेशन के मामले जो निपट नहीं पाते थे उनको निपटा दिये, सजा देने का मौका नहीं आ पाता। इस कारण से ये कोर्ट्स बहुत ही कामयाब साबित हुए हैं, बशर्ते कि इनको ज्यादा शक्ति दी जाए। इनमें एफिशियेंसी लाई जाए। जहां तक कोर्ट्स का सवाल है इसमें कहीं पर मेंशन किया गया है कि जो जजेज होंगे इन कोर्ट्स में वे लेडीज होंगी। ऐसा नहीं है कि जो लेडीज जज होंगी वे पुरुष के साथ अन्याय करेंगी। ऐसी सोचने की जो धारणा है वह ठीक नहीं है। फैमिली कोर्ट्स की मांग सामयिक मांग है। जो मंत्री जी ने संशोधन किये हैं बहुत ही उपयोगी हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा है इसको अगर सफल बनाना है तो यह आवश्यक कि डिस्ट्रिक्ट नगर-नगर, देहात-देहात में इस बारे में एजुकेट किया जाए। जो आपसी झगड़े हैं वे इन फैमिली कोर्ट्स के द्वारा निपटाये जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो नई सभ्यता, संस्कृति आ गई है इस तरह के मामलात देश के अन्दर ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्दर बढ़ रहे हैं, हमारे हिन्दुस्तान में भी बढ़ेंगे। यह कहा जाता है कि जिस घर में चार बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही। वह घर नहीं जहां पर मियां-बीवी में खटपट न हो। मैं यह जानता हूं, बचपन में यह देखा करता था कि मोहल्ले-मोहल्ले में आदमी अपनी औरत को मारता था। औरत कुछ कहती नहीं थी, बोलती नहीं थी। यह मैंने

[चौधरी हरीसिंह]

अपनी आंखों से देखा है। अब जमाना चेंज हो गया है। स्त्रियां अब पुरुषों के बराबर आ गई हैं। जीवन के हर मोर्चे में आगे आ रही हैं। उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए ये फेमिली कोर्ट्स बहुत उपयुक्त काम करेंगे। मेरा आग्रह है कि एक लाख से अधिक आबादी वाला चाहे कस्बा हो, शहर हो, जिला हो उसमें कोर्ट होना चाहिए। दूसरे जो सरकार की तरफ से वकील हों वे फुली पेड होने चाहिये। सरकार की तरफ बकायदा सेलेरी पाने वाले होने चाहिएं। यह न देखें कि यह उसने एंगेज किया है या इसने एंगेज किया है। कोई बाहर का वकील जो बड़े योग्य होते हैं, इंफ्लुएंशल होते हैं जजेज उनके इंफ्लुएंस में आ जाते हैं। कोर्ट्स में एक नई परम्परा चल पड़ी है कि कोर्ट में कोई अच्छा वकील आ गया तो जजेज उसके दबाव में आ जाते हैं। मेरा कहना है कि इन कोर्ट्स में वकीलों को अच्छी तनख्वाहें हों ताकि वह अच्छी तरह केस लड़ सकें तभी कोर्ट्स कामयाब हो सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री संघप्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर मैं विधि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस कुटुम्ब न्यायालय संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद यह देखने को मिला है कि पारिवारिक विवादों में बढ़ोतरी हुई है, तलाक के मामले बढ़े हैं, भरण-पोषण के मामले बढ़े हैं और शादी के औचित्य के मामले भी बढ़े हैं। काफी संख्या विवादों की हो गई है। जिस प्रकार से सुनते हैं कि न्यायालयों में विवादों का निपटारा सही और शीघ्र नहीं हो रहा है इसलिए यह मंशा थी कि कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना हो और 1984 में ये न्यायालय स्थापित किये गये लेकिन आज तक कोई एक्शन में नहीं हैं। हजारों मामले इस तरह के विचाराधीन हैं। दूसरे यह जो संशोधन लाया गया है इसकी सीधी मंशा यह है कि न्यायालयों में अपील की श्रृंखला को समाप्त करके सीधे उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए मामला चला जाए। 5.00 PM और इसका निस्तारण जल्दी हो जाय, यही इस संशोधन विधेयक का मंशा है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी शंका व्यक्त कर रहा हूं और एक सुझाव दे रहा हूं। आप जानते हैं कि अधिकतर भरण-पोषण के मामले महिलाओं द्वारा प्रस्तुत होते और जैसाकि कहा गया है, इन न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन देखने में यह आता है कि महिलाओं की संख्या न्यायालयों में बहुत कम है। इसलिए इस मंशा को पूरा करने के लिए और महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुटुम्ब न्यायालयों में पूरा करने के लिए आयन्दा इस बात का ध्यान रखा जाय कि महिलाओं की नियुक्ति जूडिसियरी में अधिक से अधिक की जाय ताकि महिला जज उपलब्ध हो सकें। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के मामले कम हों, केवल यही इस बिल का मंशा न हो कि निस्तारण जल्दी हो, लेकिन आज भरण-पोषण के मामले बढ़ रहे हैं, माता-पिता और औलाद के बीच में जो पवित्र संबंध थे उनमें कमी आ रही है। पति-पत्नी के बीच में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। इनमें जो पवित्र संबंध थे उनमें कमी आ रही है। शादियों के औचित्य और वैधता को चुनौती दी जा रही है। इस तरह शादियों की जो पवित्रता है उसमें भी गिरावट आ रही है। इसलिए इन न्यायालय का मंशा ऐसा हो, उनका एक्शन और फंक्शन ऐसा हो कि इस प्रकार के वादकारी परिवारों पर ऐसा प्रभाव पड़े जिससे भविष्य में इस तरह के मामलों में कमी हो, चाहे वे भरण-पोषण के मामले ही क्यों न हो और जो लोग भरण-पोषण देने के लिए अधिकारी हैं वे भरण-पोषण दें और तलाक के मामलों में कमी हों। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now it is 5 o'clock. I would like to take the sense of the House whether we shall sit beyond five.

SOME HON. MEMBERS: No

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The House is adjourned till eleven of the clock on Friday, the 22nd November, 1991.

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 22nd November, 1991.